प्रेस विज्ञप्ति

17.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 16.10.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में पाँच स्थानों पर 'पूर्ण मुद्रा परिवर्तक' (एफएफएमसी) के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिनमें प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। तलाशी अभियान से पता चला कि ये पूर्ण मुद्रा परिवर्तक आरबीआई से बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से काम कर रहे थे।

इससे पहले, आरबीआई हैदराबाद ने ऐसे पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों का निरीक्षण किया था और कई अनियमितताएँ पाई थीं, जैसे बिना संबंधित यात्रा टिकटों के केवाईसी दस्तावेज़, झूठे/काल्पनिक यात्री नाम, नकली/जाली उड़ान टिकट, उड़ान की तारीख और उड़ान संख्या में हेरफेर, ग्राहकों के हस्ताक्षरों में बेमेल, आदि। साथ ही, एक ही यात्रा टिकट की कई प्रतियाँ बरामद की गईं जिनमें प्रमुख विवरण जाली थे। बिक्री मुख्यतः इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे सामान्य गंतव्यों की यात्रा के एवज़ में दिखाई गई, जहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। आरबीआई के निरीक्षण के परिणामस्वरूप, एफएफएमसी द्वारा जून-जुलाई 2025 में आरबीआई लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरबीआई लाइसेंस के सरेंडर होने के बाद भी, कुछ एफएफएमसी, जैसे प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने परिसरों में नकली/जाली आरबीआई लाइसेंस प्रदर्शित करते हुए, अवैध मुद्रा विनिमय व्यवसाय में संलिप्तता और संचालन जारी रखे हुए थे।

फेमा के तहत की गई तलाशी में अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड वाले आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए। तलाशी में 11.99 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और विभिन्न देशों की विभिन्न मूल्यवर्ग की 26.77 लाख रुपये (लगभग) की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है।